

सेन्चुरी/वन्यजीव विहार न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत साउथ ईस्ट उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाईन (सर्किट-1) के निर्माण कार्य हेतु जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई भी सेन्चुरी/वन्यजीव विहार नहीं है।


S. Singh
Joint Manager
South East U.P. Power Transmission Co. Ltd.


(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
प्रसांगीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर (उ0प्र0) 212601
05180-224483